**बिहार सरकार**

**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग**

**सं0 सं0**–2/शिक्षा0(स्था0)–60–04/2018– 2069 पटना, दिनांक– 23.08.18

**आदेश**

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों के शिक्षक संघ द्वारा अनुरोध किया गया है कि जिन स्नातक शिक्षकों को द्वितीय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 **PB2**–5400/–एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0 **PB3**–5400/– का लाभ प्राप्त हैं उन्हें दिनांक–01.01.16 से किस वेतन स्तर में वेतन निर्धारण किया जाय। यह प्रश्न अनु0 जाति/अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त इन शिक्षकों की माँग पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:–

2– वित्त विभागीय संकल्प सं0–3590 दिनांक–24.05.17 द्वारा दिनांक–01.01.16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से **PB3**–5400/– का पुनरीक्षित वेतन स्तर स्वीकृत नहीं किया गया है फलतः वित्त विभागीय पत्रांक–8891 दिनांक–14.11.2017, पत्रांक–8892 दिनांक–14.11.2017, एवं पत्रांक–8928 दिनांक–15.11.2017 द्वारा **PB3**–5400/–के वेतनमान में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्राप्त विभिन्न संवर्गीय कर्मियों/पदाधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण लेवल–11 में करने का निर्णय लिया गया है। इन शिक्षकों की माँग के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में **PB3**–5400/– में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों (इन्टरमीटिएट) का एवं **PB3**–5400/– में द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त स्नातक **प्रशिक्षित** शिक्षकों का दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण लेवल–11(ग्यारह) में किया जाना राज्य सरकार के प्रावधान के अनुकूल है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक–01.01.2016 के पूर्व प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का पुनरीक्षित वेतनमान में पुनः निर्धारण नहीं किया जाएगा अपितु संगत वेतन स्तर लेवल–11 (ग्यारह) में वेतन पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590 दिनांक–24.05.2017 के आलोक में किया जाएगा।

3– सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

4– उपरोक्त वेतन निर्धारण का वैचारिक लाभ 01.01.2016 से एवं आर्थिक लाभ 01.04.2017 से देय होगा ।

5– प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है।

23.08.18

**निदेशक**

ज्ञापांकः–2/शिक्षा0(स्था0)–60–04/2018– 2069 पटना, दिनांक– 23.08.18

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित स्नातक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.08.18

**निदेशक**